Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/Pfiofficial

प्रेस रिलीज़

23 जनवरी 2020
नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ पॉपुलर फ्रंट की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 (सीएए) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

इस याचिका में केवल सीएए को ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े कई क़ानूनों, नियमों और आदेशों में किये गए संशोधन को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नागरिकता के लिए धर्म कोई आधार नहीं होता। लेकिन सीएए के नतीजे में, केवल मुसलमानों को ही अपने धर्म की बुनियाद पर नागरिकता छिन जाने का खतरा है।

''यह आपत्तिजनक क़ानून नागरिकता देने या न देने के लिए धर्म को आधार मानता है। यह बात न्याय, बराबरी और आज़ादी जैसे संवैधानिक आदर्शों और राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भाईचारे से टकराती है।''

याचिकाकर्ता के अनुसार सीएए पूर्ण रूप से विभाजनकारी, विनाशकारी और भारतीय नागरिकों के आपस में मिल–जुलकर रहने के लिए ख़तरनाक है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म की बुनियाद पर नागरिकता देने या ना देने का विचार एक ऐसा विचार है, जिसे संविधान के संस्थापक पहले ही संविधान सभा में चर्चा के बाद रद्द कर चुके हैं। किसी के धर्म को देखकर उसे व्यक्तिगत आज़ादी और समान अधिकारों से वंचित करना पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण बात है और किसी भी सभ्य एवं प्रगतिशील समाज में ऐसी बात कभी नहीं सुनी गई।

याचिका में यह भी कहा गया है कि सीएए जिसमें धर्म को आधार माना गया है, वह संयुक्त राष्ट्र के अनेक अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं तथा समझौतों जैसे कि 'मानवाधिकार अंतरराष्ट्रीय घोषणा (यूडीएचआर)', 'जातीय भेदभाव के खात्मे का अंतरराष्ट्रीय समझौता', 'नागरिक व राजनैतिक अधिकारों का वैश्विक समझौता', 'राष्ट्रीय एवं जातीय, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के लोगों के अधिकारों की घोषणा', 'धर्म एवं आस्था के आधार पर असहिष्णुता और भेदभाव के खात्मे की घोषणा' आदि के भी खिलाफ है।

यूडीएचआर जिसमें भारत भी शामिल है, उसकी धारा 2,3,7,15 और 18 यह कहती हैं कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

दुर्भाग्य से यह आपत्तिजनक कानून पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण, मनमाना, असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है और साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं और समझौतों के भी खिलाफ है, जिसमें भारत भी सदस्य है।

याचिकाकर्ता का मानना है कि इस आपत्तिजनक कानून का बहुत बुरा और खतरनाक प्रभाव पिछड़े और हाशिये पर खड़े गरीब अवाम के बड़े हिस्से के अस्तित्व और जीवन पर पड़ेगा, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो भारत में ही पैदा हुए, यहीं पले–बढ़े और और पीढ़ियों से वे यहीं रह रहे हैं, विशेष रूप से समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे।

याचिका में 'पासपोर्ट (भारत में दाखिला) के नियम' (1950) के नियम नंबर 4(1) (एच.ए), 'विदेशियों के ऑर्डर के पैराग्राफ (3) 1948' और नागरिकता संशोधन कानून 2019 को असंवैधानिक क़रार देने और इन कानूनों को ख़त्म करने की मांग की गई है।

डॉ. मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली